□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न □ख□□: 4430
19 □□□□, 2019 □□ □□□□□□□□□□□प्रश्□ □□ □त्त□

□□□□□□□□ □ प्रक्रि□□ □□ □□□□□□□□
4430. श्र□ □□□प्र□□ □□□□

क्या स्वास्थ्य और □ि□□□□ □ल□□□ □त्र□ □□ □□□□□ाे □□□ □□□ि□

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि औषधालयों द्वारा पैनलबद्ध अस्पतालों के लिए रेफर किए गए सीजीएचएस के लाभार्थो उपचार और परीक्षण के लिए बार-बार स्वीकृति लेने के लिए विवश ह, जिसके कारण उपचार म बहुत असुविधा और देरी होती है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार को इस पर क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या सरकार का इस प्रक्रिया को सरल बनाने और औषधालय द्वारा एकल स्वीकृति/रेफरस के आधार पर उपचार तथा सभी आवश्यक परीक्षण कराने को अनुमति देने का विचार है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कायान्वित किए जाने को संभावना है; और
(ङ) यदि नहों, तो इसके क्या कारण ह?

□त्त□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य □त्र□ (श्र□ □श्वि□□ □□□□ □□□)□

(क) और (ख): सीजीएचएस आरोग्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य परिचया सुविधाएं उपलब्ध कराते ह तथा यदि आवश्यकता हो तो लाभार्थियों को सीजीएचएस के तहत पैनलीकृत सरकारी अस्पतालों/निजी अस्पतालों म विशेषज्ञों को रेफर भी करते ह। आपातकालीन स्थिति म किसी उपचार/जांच के लिए सीजीएचएस आरोग्य केन्द्र से किसी अनुमति को आवश्यकता नहों है। तथापि, गैर-आपातकालीन स्थिति अथवा गैर सूचीबद्ध उपचार/जांच के लिए संबंधित सीजीएचएस आरोग्य केन्द्र से अनुमति अपेक्षित है।

पैनलीकृत अस्पतालों म विशेषज्ञों से आसानी से परामश उपलब्ध कराने के मद्देनजर, सरकार ने 75 वष अथवा इससे अधिक आयु के सीजीएचएस वृद्ध लाभार्थियों को बिना किसी रेफर के विशेषज्ञों से परामश करने तथा बिना किसी अनुमति के उपचार/जांच कराने को मंजूरी प्रदान को है।

(ग) से (ड़) दिनांक 15 जनवरी, 2018 के कायालय ज्ञापन सं.जेड़.15025/117/निदेशक/सीजीएचएस/ईएचएस के तहत जारी किए गए रेफरल हेतु दिशा-निदशों म दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के कायालय ज्ञापन सं.जेड़.15025/117/निदेशक/सीजीएचएस/ईएचएस के तहत संशोधन किया गया है और रुग्ण व्यक्तियों, पशनभोगियों और सेवारत कमचारियों के हित म निम्नलिखित संशोधन किए गए है:-

(i) यह रेफरल 30 दिनों के भीतर किसी एक ही अस्पताल म 3 बार तक परामश के लिए वैध होगा।

(ii) सीजीएचएस लाभार्थियों को एक दौरे के दौरान यदि आवश्यकता हो तो 3 विशेषज्ञों तक परामश करने को मंजूरी प्राप्त है।

(iii) पैनलीकृत निजी अस्पतालों के विशेषज्ञों द्वारा सुझाई गई कोई जांच को जा सकती है यदि वे सीजीएचएस के अनुमोदन के बिना, आपात स्थिति म कराई जानी अपेक्षित ह जैसाकि विशेषज्ञ ने प्रमाणित किया है।

****